मि. सं. 11013/3/2014-स्था.(क)
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना प्रभाग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 23 जुलाई, 2014

विषयः लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013- प्रत्येक वर्ष सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली गई संपत्ति और ऋणों के ब्यौरा की प्रस्तुति और उसे मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइटों पर लोक डोमेन में रखा जाए।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ देने का निदेश हुआ है और यह कहना है कि सरकार ने दिनांक 14.7.214 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी (संपत्तियों एवं ऋणों के वार्षिक विवरणी और विवरणी भरते समय संपत्ति पर दी गई छूट की सीमा संबंधी सूचना प्रस्तुत करना) नियमावली, 2014 को अधिसूचित कर दिया है। यह विभाग की वेबसाइट http_//persmin.nic.in/Lokpal_Homepage_New.asp.

2. कथित अधिनियम एवं उस पर बनाए गए नियमावली के अनुसार, प्रत्येक केन्द्रीय कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मार्च की तिथि के अनुसार उसकी संपत्तियों और ऋणों का ब्यौरा सूचना अथवा विवरणी जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकारी के पास उस वर्ष की 31 जुलाई को दर्ज करे। यह नोट किया जाए कि अधिनियम की धारा 2(1) (O) के अनुसार, "केन्द्रीय कर्मचारी" से उस व्यक्ति से तात्पर्य है जो अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड क से ज में है परन्तुक

3. यह नोट किया जाए कि केन्द्रीय कर्मचारी की परिभाषा के अंदर सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (समूह क, ख, ग) शामिल है। अतः सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ब्यौरा भरना पड़ेगा। केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 से इसमें एक मुख्य अंतर है, कृपया इसे ध्यान में रखा जाए।

4. नियम के अनुसार, केन्द्रीय कर्मचारी जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा, सूचना एवं वार्षिक विवरणी भर दी है ऐसे केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लागू नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 1.8.2014 की तिथि के अनुसार संशोधित ब्यौरा, सूचना जैसा भी मामला हो, वार्षिक विवरणी, सक्षम प्राधिकारी को 15 सितम्बर, 2014 तक या उससे पहले भरनी होगी। सभी मंत्रालयों/विभागों को तदानुसार यह अनुरोध किया जाता है कि वे केन्द्रीय कर्मचारी (संपत्तियों एवं ऋणों के वार्षिक विवरणी एवं विवरणी भरते समय संपत्ति में दी गई छूट की सीमा संबंधी सूचना प्रस्तुत करना) नियमावली, 2014 के प्रावधानों को अनुपालन हेतु संबंधित व्यक्तियों की सूचना में लाए।

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में विधिवत संशोधन आगे किया गया जाएगा।

(जे. ए. वैद्यानाथन)
निदेशक (स्थापना)
फैक्सः 23093179

सेवा में,

सचिव
सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. सभी मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त।
8. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
10. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
11. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी कार्यालय अनुभाग।
12. एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को इस अनुरोध के साथ की वे इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वेबसाइट पर डालें।

* हस्ताक्षरित प्रति अंग्रेजी में उपलब्ध है।